मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली

दिनांक 15-11-2024

मूल वाद सं0-772/2022(एम0ए0-27/2024)

मोहन चन्द रती

बनाम्

उत्तराखण्ड सरकार।

मानननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली प्रस्तुत याचिका सं0-772/2022 (एम0ए0-27/2024) में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 19-02-2024 के पारित आदेश के क्रम में इस वन प्रभाग द्वारा की गयी कार्यवाही क्रमवार है।

1- यह कि मूल वाद संख्या-772/2022 में पूर्वोत्तर में समस्त कार्यवाही निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून के द्वारा की गयी, वन सरंक्षक, शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या-2361/29-3 दिनांक 26-04-2024 को संलग्नक राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून का पत्र 3467/12-1 दिनांक 23-04-2024 को भेजा गया था, जिसमें अवगत कराया गया था कि वाद मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19-02-2024 को मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे तथा पत्र में अगली तिथि 01-05-2024 नियत है।

2- यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में वाद संख्या-772/2022 के आदेश के अनुपालन में पैरा संख्या-04, 05, 06 व 07 इस कार्यालय के पत्र **संख्या- 3858/29-3 दिनांक 27-04-2024 (संलग्नक-01)** के अनुसार पैरा संख्या-06 के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा की गयी प्रतिक्रिया, हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य हेतु जिसकी अनुमानित वास्तविक लम्बाई 1500 र0मी0 जिस पर कुल लागत **रू0 2,67,22,000/- (रूपये दो करोड़ सड़सठ लाख बाईस हजार) मात्र** व्यय का प्राक्कलन वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया गया तथा प्रतिलिपि निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया गया।

3- यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022(एम0ए0-27/2024) मा0 न्यायालय में दिनांक 01-05-2024 "Let the above authorities be served by the applicatant and affidavit of service be filed at least one week before the next date of hearing" आदेश पारित किया गया, जिसकी सूचना इस कार्यालय को निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-3887/29-3 दिनांक 06-06-2024 व उप सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा पत्र संख्या-924 दिनांक 03-06-2024 के द्वारा अवगत कराया गया तथा वाद को दिनांक 12-08-2024 को सूचीबद्ध है।

4- यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022(एम0ए0-27/2024) मा0 न्यायालय में दिनांक 01-05-2024 को मा0 न्यायालय द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-3087/29-3 दिनांक 29-06-2024 को आदेशित किया गया कि आप स्वयं श्री राहुल वर्मा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया से सम्पर्क स्थापित कर अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। यह पत्र इस कार्यालय में दिनांक 08-07-2024 को प्राप्त हुआ।

5- यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022(एम0ए0-27/2024) मा0 न्यायालय में दिनांक 01-05-2024 को पारित आदेश के अनुपालन तथा वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्या-634/12-3 दिनांक 23-08-2024 **(संलग्नक-02)** द्वारा वन क्षेत्राधिकारी, लालढांग रेंज को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त वाद में आप स्वयं श्री राहुल वर्मा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया से सम्पर्क स्थापित कर अग्रेत्तर कार्यवाही कर तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराये।

6- यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022(एम0ए0-27/2024) मा0 न्यायालय में दिनांक 12-08-2024 को सूचीबद्ध था जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किया गयाः-

1. Considering the issue involved in the matter, the Tribunal by order dated 01.05.2024 had impleaded the concerned respondents and had issued notice to them.
2. The Applicant has filed the affidavit of service. Despite service of notice, Respondents No. 1 to 3 are not represented today.
3. The Applicant is directed to inform the said respondents about the next date of hearing.
4. Respondent No. 3, DFO, Kotdwar is directed to remain virtually present on the next date of hearing.
5. List on 19.11.2024.

7- यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022(एम0ए0-27/2024) मा0 न्यायालय में दिनांक 12-08-2024 को दिये गये आदेश के अनुपालनार्थ हेतु दिनांक 19-02-2024 के पैरा संख्या-06 के पालन हेतु वाद में अभिलिखित सिम्बलखाल से सिड़कुल तक 1500 र0मी0 हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण में व्यय होने वाली धनराशि की मॉग हेतु इस कार्यालय द्वारा निम्न पत्र प्रेषित किये गये

- पत्रांक-950/29-1 दिनांक 13-09-2024 **(संलग्नक-03)**
- पत्रांक-985/29-1 दिनांक 18-09-2024 **(संलग्नक-04)**
- पत्रांक-1070/29-1 दिनांक 27-09-2024 **(संलग्नक-05)**

- पत्रांक-1214/29-1 दिनांक 07-10-2024 (संलग्नक-06)
- पत्रांक-1291/29-1 दिनांक 16-10-2024 (संलग्नक-07)

वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सम्बोधन किया गया तथा हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण में व्यय होने वाली धनराशि की मय संलग्नक प्राक्कलन के अनुसार की गयी, उक्त पत्रों की प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तराखण्ड, देहरादून, अपर प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण उत्तराखण्ड, देहरादून, अपर प्रमुख वन संरक्षक, सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड, देहरादून, निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी तथा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली को समय-समय पर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित किया गया।

8- यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022(एम0ए0-27/2024) मा0 न्यायालय में दिनांक 12-08-2024 के आदेशों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्या-1357/29-1 दिनांक 23-10-2024 **(संलग्नक-08)** के द्वारा वन क्षेत्राधिकारी, लालढांग रेंज को मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में निर्मित की जाने वाली हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण का पुनः स्थलीय निरीक्षण कर विस्तृत आख्या माँगी गयी।

9- यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022(एम0ए0-27/2024) मा0 न्यायालय में दिनांक 12-08-2024 के अनुपालन में किये गये। उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-2 द्वारा पत्र संख्या-1954/X-2/2024-12(37) दिनांक 29-10-2024 **(संलग्नक-09)** को प्रभाग की लालढांग रेंज के अन्तर्गत याचीकर्ता की अपील के अनुसार सिम्बलखाल से सिडकुल तक (सिगड्डी-20अ) में कुल 1500 र0मी0 हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम उत्तराखण्ड को नामित किया गया है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को दिनांक 06-11-2024 को प्राप्त हुई।

10- यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022(एम0ए0-27/2024) मा0 न्यायालय में दिनांक 12-08-2024 के क्रम में सिम्बलखाल से सिड़कुल तक बनने वाली हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण का मौका निरीक्षण श्रीमान वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अधोहस्ताक्षरी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, कोटद्वार व लालढांग रेंज के सिगड्डी व पापीडांडा अनुभाग तथा स्थानीय ग्रामीणों के साथ राजस्व सीमा व वन विभाग की सीमा का निरीक्षण दिनांक 06-11-2024 को किया गया, जिसमें कुछ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सीमा की स्थिति स्पष्ट करने हेतु आपत्ति दर्ज की गयी, जिसका निर्धारण करने हेतु निवेदन किया गया, जिसके क्रम में पुनः प्रभागीय

वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी, दुगड्डा/कोटड़ी, लालढांग रेंज का स्थानीय कर्मचारी व स्थानीय ग्रामीणों के साथ स्थलीय मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी प्रकार की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी।

11- यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022(एम0ए0-27/2024) मा0 न्यायालय में दिनांक 12-08-2024 के क्रम में सिम्बलखाल से सिड़कुल तक बनने वाली हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण स्थानीय ग्रामीणों के साथ राजस्व व वन विभाग की सीमा की स्थिति स्पष्ट करने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-1525/12-1 दिनांक 08-11-2024 **(संलग्नक-10)** को उप जिलाधिकारी, कोटद्वार को संयुक्त सर्वेक्षण हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में दिनांक 11-11-2024 को क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक को सर्वेक्षण में भाग लेने हेतु कहा गया, परन्तु सर्वे कार्य किसी कारणवश नहीं हो सका। उक्त के क्रम में उप जिलाधिकारी, कोटद्वार द्वारा अपने पत्र संख्या-1484/एस0पी0ए0-24 दिनांक 11-11-2024 को पुनः यथा स्थिति स्पष्ट करने हेतु संयुक्त सर्वेक्षण हेतु दिनांक 13-11-2024 की तिथि नियत की गयी। नियत तिथि को संयुक्त रूप से नायब तहसीलदार, कोटद्वार की टीम व विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों के साथ संयुक्त सर्वेक्षण कार्य किया गया, जो समय अभाव के कारण अन्तिम बिन्दु तक नहीं हो सका, जिसकी संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट संलग्न है **(संलग्नक-11)**।

12- यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022(एम0ए0-27/2024) मा0 न्यायालय में दिनांक 12-08-2024 के आदेशों के अनुपालन में पुनः उप जिलाधिकारी, कोटद्वार को संयुक्त सर्वेक्षण पूर्ण करने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-1577/29-1 दिनांक 14-11-2024 **(संलग्नक-12)** सर्वोच्य प्राथमिकता के आधार पर पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि विभाग के उच्चाधिकारियों व जिलाधिकारी, गढ़वाल को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित किया गया है।

विशेष कथन

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022(एम0ए0-27/2024) द्वारा सिम्बलखाल से सिड़कुल तक सुरक्षा दीवार बनाने हेतु आदेश दिनांक 19-02-2024 को पैरा संख्या-06 में प्रतिक्रिया की गयी है।

जिसके अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक-3858/29-3 दिनांक 27-04-2024 को संलग्नक प्राक्कलन 1500 र0मी0 हाथी सुरक्षा दीवार अनुमानित लागत रू0 2,67,22,000/- का भेजा गया, जबकि 1500 र0मी0 के उपरान्त क्षेत्र

में सिड़कुल औद्योगिक इकाई क्षेत्र प्रारम्भ हो जाता है। यदि सिड़कुल क्षेत्र में भी सुरक्षा दीवार बनायी जाती है, तदोपरान्त सिड़कुल औद्योगिक इकाई क्षेत्र एवं ग्रामीणों को मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को न्यून करने में सहायता प्राप्त होगी।

Kanh
15/11/24
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

सलग्नक-1

पंजीकृत

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

Tel/Fax No. 01382-228467 & Mob No.&8882083206 E-mail- dfo_lansdowne@yahoo.com

पत्रांकः- 3858/29-3 ,दिनांक, कोटद्वार, 27/04/ 2024.

सेवा में,

वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-772/2022 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- आपका पत्रांक 1919/29-3 दिनांक 06.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषय सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-772/2022 के अनुपालन में पैरा संख्या-04,05,06 व 07 की सूचना निम्न प्रकार हैः-

01-पैरा संख्या-04 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेशानुसार वर्तमान में स्टोन केशर वन्द है, परन्तु हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण नही किया गया है।

02-पैरा संख्या-05- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुसार 14.09.2023 को यह खुलासा किया गया है कि सिमवलखाल से सिड़कुल तक हाथी सुरक्षा दीवार का निर्माण नही किया गया हैं, और सिद्धवली स्टोन केशर वन्द पाया गया है, जो कि सत्य है, तथा वर्तमान में भी वन्द हैं।

03-पैरा संख्या-06- हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण के सम्बन्ध में प्रतिकिया दी गई है, हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु वास्तविक लम्बाई 1500 मीटर संलग्नक प्राक्कलन के अनुसार रू0-26722000.00 (दो करोड़ सड़सठ लाख बाईस हजार) मात्र के अनुसार व्यय होगा, धनराशि की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य किया जायेगा।

04-पैरा संख्या-07- रिपोर्ट तैयार कर मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की सेवा हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र पन्त)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांकः- 3858/29-3, दिनांकित।

प्रतिलिपिः- कार्यालय निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

(नवीन चन्द्र पन्त)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

सलग्नक-2

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

Tel/Fax No. 01382.228167 E.mail.dfo_lansdowne@yahoo.com

पत्रांकः- 634 /12-3 दिनांक, कोटद्वार, 23 | 08 | 2024

सेवा मे

वन क्षेत्राधिकारी,

लालढांग।

विषयः- MA No. 27/2024 in OA No. 772 of 2022 Mohan Chandra Sati vs. State of Uttarakhand through to its chief Secretary Uttarakhand.

संदर्भः- वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 93115/12-3 जुलाई 2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में आपको निर्देशित किया जाता है, कि आप उपरोक्त रिट संख्या में स्वयं श्री राहुल वर्मा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से सम्पर्क कर प्रकरण के सम्वन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें। प्रकरण माननीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में दिनांक 12.08.2024 को सूचिबद्ध है।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र पन्त)

प्रभागीय वनाधिकारी,

लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार

O/c

सलग्नक-3

✉ dfo_lansdowne@yahoo.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

उत्तराखण्ड राज्य

पत्रांक :- 950 /29-1 , दिनांक, कोटद्वार, 13/09/ , 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 (एम0ए0 संख्या-27/2024) श्री मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- **इस कार्यालय का पत्रांक- 3858/29-3 दिनांक 27.04.2024.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 (एम0ए0 संख्या-27/2024) श्री मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 19.02.2024 के अनुपालन में पैरा संख्या- 04, 05, 06 व 07 की सूचना प्रेषित की गयी थी।

यह कि पैरा संख्या- 05 में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुसार दिनांक 14.09.2023 को यह आपत्ति व्यक्त की गयी थी कि सिमबलखाल से सिडकुल तक हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण का कार्य नहीं किया गया है और सिद्धवली स्टोन क्रेशर बंद पाया गया, जो सत्य है, तथा वर्तमान में बंद है।

यह कि पैरा संख्या- 06 में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुपालन में स्थलीय मापन किया गया, जिसमें पाया गया कि सिमबलखाल से सिडकुल तक हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु कुल लम्बाई 1500 रनिंग मीटर आंकलित की गयी है। उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2024-25 की दरों के अनुसार 1500 रनिंग मीटर हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु रू-2,67,22000.00 (रू0 दो करोड़ सड़सठ लाख बाईस हजार मात्र) धनराशि की आवश्यकता होगी (**संलग्नक- पत्रांक संख्या 3858/29-3, दिनांक 27.04.2024**) उक्त पत्र की प्रतिलिपि कार्यालय निदेशक वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी तथा माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली को भी सूचना ई-मेल के माध्यम से सूचना प्रेषित की गयी थी।

यह कि प्रश्नगत प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में दिनांक 12.08.2024 को सूचीबद्ध किया गया था जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किया गया हैः-

1. Considering the issue involved in the matter, the Tribunal by order dated 01.05.2024 had impleaded the concerned respondents and had issued notice to them.

2. The Applicant has filed the affidavit of service. Despite service of notice, Respondents No. 1 to 3 are not represented today.

3. The Applicant is directed to inform the said respondents about the next date of hearing.

4. Respondent No. 3, DFO, Kotdwar is directed to remain virtually present on the next date of hearing.

5. List on 19.11.2024.

O/C

3

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 में दिनांक 12.08.2024 को पारित आदेशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 19.11.2024 को सूचीबद्ध तिथि को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के सम्मुख उपस्थित होकर अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जानी है।

अतः माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या-772/2022 में दिनांक 12.08.2024 को कुल 1500 रनिंग मीटर हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य हेतु रू0 2,67,22000.00 (रू0 दो करोड़ सड़सठ लाख बाईस हजार मात्र) की धनराशि हेतु बजट आवंटन करने की कृपा करें तथा सिगड्डी खाल से सिड़कुल तक प्राक्कलन अनुसार हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि कार्य नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराया जा सके।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांकः- 950 /29-1 ,दिनांकित।

प्रतिलिपिः-अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-अपर प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-अपर प्रमुख संरक्षक सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली को उनके आदेश दिनांक 12.08.2024 के क्रम में ई-मेल के द्वारा सूचनार्थ सादर प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

संलग्नक-4

dfo_lansdowne@yahoo.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

उत्तराखण्ड राज्य

पत्रांक :- 985 /29-1 , दिनांक, कोटद्वार, 18/09/ , 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 (एम0ए0 संख्या-27/2024) श्री मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- इस कार्यालय का पत्रांक- 950/29-1 दिनांक 13.09.2024 व पत्रांक-3858/29-3 दिनांक 27.04.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 (एम0ए0 संख्या-27/2024) श्री मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड़ राज्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 10.02.2024 के अनुपालन में पैरा संख्या- 04, 05, 06 व 07 की सूचना प्रेषित की गयी थी।

यह कि पैरा संख्या- 05 में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुसार दिनांक 14.09.2023 को यह आपत्ति व्यक्त की गयी थी कि सिमबलखाल से सिडकुल तक हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण का कार्य नहीं किया गया है और सिद्धवली स्टोन क्रेशर बंद पाया गया, जो सत्य है, तथा वर्तमान में बंद है।

यह कि पैरा संख्या- 06 में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुपालन में स्थलीय मापन किया गया, जिसमें पाया गया कि सिमबलखाल से सिडकुल तक हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु कुल लम्बाई 1500 रनिंग मीटर आंकलित की गयी है। उत्तराखण्ड़ लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2024-25 की दरों के अनुसार 1500 रनिंग मीटर हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु रू-2,67,22000.00 (रू0 दो करोड़ सड़सठ लाख बाईस हजार मात्र) धनराशि की आवश्यकता होगी (संलग्नक- पत्रांक संख्या 3858/29-3, दिनांक 27.04.2024) उक्त पत्र की प्रतिलिपि कार्यालय निदेशक वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी तथा माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली को भी सूचना ई-मेल के माध्यम से सूचना प्रेषित की गयी थी।

यह कि प्रश्नगत प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में दिनांक 12.08.2024 को सूचीबद्ध किया गया था जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किया गया है:-

1. *Considering the issue involved in the matter, the Tribunal by order dated 01.05.2024 had impleaded the concerned respondents and had issued notice to them.*
2. *The Applicant has filed the affidavit of service. Despite service of notice, Respondents No. 1 to 3 are not represented today.*
3. *The Applicant is directed to inform the said respondents about the next date of hearing.*
4. *Respondent No. 3, DFO, Kotdwar is directed to remain virtually present on the next date of hearing.*
5. *List on 19.11.2024.*

O/C

P.T.O.

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 में दिनांक 12.08.2024 को पारित आदेशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 19.11.2024 को सूचीबद्ध तिथि को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के सम्मुख **virtually** उपस्थित होकर अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जानी है।

यह कि श्रीमान अपर प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के ई-पत्रांक- 114312/2024 दिनांक 13.09.2024 द्वारा निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त विषयक क्रम में उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग-2 के पत्र संख्या-1644X-2-2024-15(28)2024 दिनांक 06.09.2024 को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के समक्ष समयानुसार प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना है, जिसकी प्रगति कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या-772/2022 में दिनांक 12.08.2024 को कुल 1500 रनिंग मीटर हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य हेतु रू0 2,67,22000.00 (रू0 दो करोड़ सड़सठ लाख बाईस हजार मात्र) की धनराशि हेतु बजट आवंटन करने की कृपा करें तथा सिमबलखाल से सिड़कुल तक प्राक्कलन अनुसार हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि कार्य नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराया जा सके।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांकः- 985 /29-1 ,दिनांकित।

प्रतिलिपिः-अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-अपर प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड़, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-अपर प्रमुख संरक्षक सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड़, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली को उनके आदेश दिनांक 12.08.2024 के क्रम में ई-मेल के द्वारा सूचनार्थ सादर प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

सलग्नक - 5

dfo_lansdowne@yahoo.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांक :- 1070 /29-1 , दिनांक, कोटद्वार, 27 /09/ , 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 (एम०ए० संख्या-27/2024) श्री मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- इस कार्यालय का पत्रांक-985/29/1 दिनांक 18.09.2024, पत्रांक- 950/29-1 दिनांक 13.09.2024 व पत्रांक- 3858/29-3 दिनांक 27.04.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 (एम०ए० संख्या-27/2024) श्री मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 10.02.2024 के अनुपालन में पैरा संख्या- 04, 05, 06 व 07 की सूचना प्रेषित की गयी थी।

यह कि पैरा संख्या- 05 में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुसार दिनांक 14.09.2023 को यह आपत्ति व्यक्त की गयी थी कि सिमबलखाल से सिडकुल तक हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण का कार्य नहीं किया गया है और सिद्धवली स्टोन क्रेशर बंद पाया गया, जो सत्य है, तथा वर्तमान में बंद है।

यह कि पैरा संख्या- 06 में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुपालन में स्थलीय मापन किया गया, जिसमें पाया गया कि सिमबलखाल से सिडकुल तक हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु कुल लम्बाई 1500 रनिंग मीटर आंकलित की गयी है। उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2024-25 की दरों के अनुसार 1500 रनिंग मीटर हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु रू-2,67,22000.00 (रू0 दो करोड़ सड़सठ लाख बाईस हजार मात्र) धनराशि की आवश्यकता होगी **(संलग्नक- पत्रांक संख्या 3858/29-3, दिनांक 27.04.2024)** उक्त पत्र की प्रतिलिपि कार्यालय निदेशक वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी तथा माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली को भी सूचना ई-मेल के माध्यम से सूचना प्रेषित की गयी थी।

यह कि प्रश्नगत प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में दिनांक 12.08.2024 को सूचीबद्ध किया गया था जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किया गया है:-

1. Considering the issue involved in the matter, the Tribunal by order dated 01.05.2024 had impleaded the concerned respondents and had issued notice to them.

2. The Applicant has filed the affidavit of service. Despite service of notice, Respondents No. 1 to 3 are not represented today.

3. The Applicant is directed to inform the said respondents about the next date of hearing.

4. Respondent No. 3, DFO, Kotdwar is directed to remain virtually present on the next date of hearing.

-5

5. *List on 19.11.2024.*

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 में दिनांक 12.08.2024 को पारित आदेशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 19.11.2024 को सूचीबद्ध तिथि को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के सम्मुख उपस्थित होकर अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जानी है।

यह कि श्रीमान अपर प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के ई-पत्रांक- 114312/2024 दिनांक 13.09.2024 द्वारा निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त विषयक क्रम में उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग-2 के पत्र संख्या-1644X-2-2024-15(28)2024 दिनांक 06.09.2024 को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के समक्ष समयानुसार प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना है, जिसकी प्रगति कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

यह कि उप सचिव उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग-2 के पत्र संख्या-1644/X-2/2023-15(28)/2024 दिनांक 06.09.2024 के द्वारा भी सूचित किया गया है जो कि प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून को सम्बोधित है तथा इस कार्यालय को प्रति है जिसमें कहा गया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 श्री मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 12.08.2024 में पारित आदेशों के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।

अतः माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या-772/2022 में दिनांक 12.08.2024 को कुल 1500 रनिंग मीटर हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य हेतु रू0 2,67,22000.00 (रू0 दो करोड़ सड़सठ लाख बाईस हजार मात्र) की धनराशि हेतु बजट आवंटन करने की कृपा करें तथा सिमबलखाल से सिड़कुल तक प्राक्कलन अनुसार हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि कार्य नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराया जा सके।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांकः- 1070 /29-1 ,दिनांकित।

प्रतिलिपिः-अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-अपर प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड़, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-अपर प्रमुख संरक्षक सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली को उनके आदेश दिनांक 12.08.2024 के क्रम में ई-मेल के द्वारा सूचनार्थ सादर प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

सलग्नक-6

dfo_lansdowne@yahoo.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

उत्तराखण्ड राज्य

पत्रांक :- 1214/29-1 , दिनांक, कोटद्वार, 07/10/ , 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 (एम0ए0 संख्या-27/2024) श्री मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- इस कार्यालय का पत्रांक- 1070/29-1 दिनांक 27.09.2024, पत्रांक-985/29/1 दिनांक 18.09.2024, पत्रांक- 950/29-1 दिनांक 13.09.2024 व पत्रांक-3858/29-3 दिनांक 27.04.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 (एम0ए0 संख्या-27/2024) श्री मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 10.02.2024 के अनुपालन में पैरा संख्या- 04, 05, 06 व 07 की सूचना प्रेषित की गयी थी।

यह कि पैरा संख्या- 05 में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुसार दिनांक 14.09.2023 को यह आपत्ति व्यक्त की गयी थी कि सिमबलखाल से सिडकुल तक हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण का कार्य नहीं किया गया है और सिद्धवली स्टोन क्रेशर बंद पाया गया, जो सत्य है, तथा वर्तमान में बंद है।

यह कि पैरा संख्या- 06 में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुपालन में स्थलीय मापन किया गया, जिसमें पाया गया कि सिमबलखाल से सिडकुल तक हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु कुल लम्बाई 1500 रनिंग मीटर आंकलित की गयी है। उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2024-25 की दरों के अनुसार 1500 रनिंग मीटर हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु रू-2,67,22000.00 (रू0 दो करोड़ सड़सठ लाख बाईस हजार मात्र) धनराशि की आवश्यकता होगी (संलग्नक- पत्रांक **संख्या 3858/29-3, दिनांक 27.04.2024**) उक्त पत्र की प्रतिलिपि कार्यालय निदेशक वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी तथा माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली को भी सूचना ई-मेल के माध्यम से सूचना प्रेषित की गयी थी।

यह कि प्रश्नगत प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में दिनांक 12.08.2024 को सूचीबद्ध किया गया था जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किया गया हैः-

1. *Considering the issue involved in the matter, the Tribunal by order dated 01.05.2024 had impleaded the concerned respondents and had issued notice to them.*

2. *The Applicant has filed the affidavit of service. Despite service of notice, Respondents No. 1 to 3 are not represented today.*
3. *The Applicant is directed to inform the said respondents about the next date of hearing.*
4. *Respondent No. 3, DFO, Kotdwar is directed to remain virtually present on the next date of hearing.*
5. *List on 19.11.2024.*

O/C

Kand.

6

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 में दिनांक 12.08.2024 को पारित आदेशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 19.11.2024 को सूचीबद्ध तिथि को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के सम्मुख उपस्थित होकर अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जानी है।

यह कि श्रीमान अपर प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के ई-पत्रांक-114312/2024 दिनांक 13.09.2024 द्वारा निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त विषयक कम में उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग-2 के पत्र संख्या- 1644X-2-2024-15(28)2024 दिनांक 06.09.2024 को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के समक्ष समयानुसार प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना है, जिसकी प्रगति कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

यह कि उप सचिव उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग-2 के पत्र संख्या-1644/X-2/2023-15(28)/2024 दिनांक 06.09.2024 के द्वारा भी सूचित किया गया है जो कि प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून को सम्बोधित है तथा इस कार्यालय को प्रति है जिसमें कहा गया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 श्री मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 12.08.2024 में पारित आदेशों के कम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।

अतः माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या-772/2022 में दिनांक 12.08.2024 को कुल 1500 रनिंग मीटर हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य हेतु रू0 2,67,22000.00 (रू0 दो करोड़ सड़सठ लाख बाईस हजार मात्र) की धनराशि हेतु बजट आवंटन करने की कृपा करें तथा सिमबलखाल से सिड़कुल तक प्राक्कलन अनुसार हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि कार्य नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराया जा सके। जिसमें श्रीमान का दिशा-निर्देश अति आवश्यक है तथा प्रकरण को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में सूचीबद्ध दिनांक 19.11.2024 को आभासी (Virtual) रूप अवगत कराया जाना है।

भवदीय,

(आकाश गंगवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांकः- 1214/29-1 ,दिनांकित।

प्रतिलिपिः-अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-अपर प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-अपर प्रमुख संरक्षक सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली को उनके आदेश दिनांक 12.08.2024 के कम में ई-मेल के द्वारा सूचनार्थ सादर प्रेषित।

(आकाश गंगवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

सलग्नक-7

✉ dfo_lansdowne@yahoo.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

उत्तराखण्ड राज्य

पत्रांक :- 1291 /29-1 , दिनांक, कोटद्वार, 16/10/ , 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 (एम0ए0 संख्या-27/2024) श्री मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- इस कार्यालय का पत्रांक- 1214/29-1 दिनांक 07.10.2024, 1070/29-1 दिनांक 27.09.2024, पत्रांक-985/29/1 दिनांक 18.09.2024, पत्रांक- 950/29-1 दिनांक 13.09.2024 व पत्रांक- 3858/29-3 दिनांक 27.04.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के कम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 (एम0ए0 संख्या-27/2024) श्री मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 10.02.2024 के अनुपालन में पैरा संख्या- 04, 05, 06 व 07 की सूचना प्रेषित की गयी थी।

यह कि पैरा संख्या- 05 में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुसार दिनांक 14.09.2023 को यह आपत्ति व्यक्त की गयी थी कि सिमबलखाल से सिडकुल तक हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण का कार्य नहीं किया गया है और सिद्धवली स्टोन क्रेशर बंद पाया गया, जो सत्य है, तथा वर्तमान में बंद है।

यह कि पैरा संख्या- 06 में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुपालन में स्थलीय मापन किया गया, जिसमें पाया गया कि सिमबलखाल से सिडकुल तक हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु कुल लम्बाई 1500 रनिंग मीटर आंकलित की गयी है। उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2024-25 की दरों के अनुसार 1500 रनिंग मीटर हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु रू-2,67,22000.00 (रू0 दो करोड़ सड़सठ लाख बाईस हजार मात्र) धनराशि की आवश्यकता होगी (**संलग्नक- पत्रांक संख्या 3858/29-3, दिनांक 27.04.2024**) उक्त पत्र की प्रतिलिपि कार्यालय निदेशक वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी तथा माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली को भी सूचना ई-मेल के माध्यम से सूचना प्रेषित की गयी थी।

यह कि प्रश्नगत प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में दिनांक 12.08.2024 को सूचीबद्ध किया गया था जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किया गया हैः-

1. Considering the issue involved in the matter, the Tribunal by order dated 01.05.2024 had impleaded the concerned respondents and had issued notice to them.

2. The Applicant has filed the affidavit of service. Despite service of notice, Respondents No. 1 to 3 are not represented today.

3. The Applicant is directed to inform the said respondents about the next date of hearing.

4. Respondent No. 3, DFO, Kotdwar is directed to remain virtually present on the next date of hearing.

5. List on 19.11.2024.

O/C

7

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 में दिनांक 12.08.2024 को पारित आदेशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 19.11.2024 को सूचीबद्ध तिथि को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के सम्मुख उपस्थित होकर अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जानी है।

यह कि श्रीमान अपर प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के ई-पत्रांक-114312/2024 दिनांक 13.09.2024 द्वारा निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त विषयक क्रम में उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग-2 के पत्र संख्या- 1644X-2-2024-15(28)2024 दिनांक 06.09.2024 को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के समक्ष समयानुसार प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना है, जिसकी प्रगति कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

यह कि उप सचिव उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग-2 के पत्र संख्या-1644/X-2/2023-15(28)/2024 दिनांक 06.09.2024 के द्वारा भी सूचित किया गया है जो कि प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून को सम्बोधित है तथा इस कार्यालय को प्रति है जिसमें कहा गया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 श्री मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 12.08.2024 में पारित आदेशों के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।

अतः माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या-772/2022 में दिनांक 12.08.2024 को कुल 1500 रनिंग मीटर हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य हेतु रू0 2,67,22000.00 (रू0 दो करोड़ सड़सठ लाख बाईस हजार मात्र) की धनराशि हेतु बजट आवंटन करने की कृपा करें तथा सिमबलखाल से सिड़कुल तक प्राक्कलन अनुसार हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि कार्य नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराया जा सके। जिसमें श्रीमान का दिशा-निर्देश अति आवश्यक है तथा प्रकरण को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में सूचीबद्ध दिनांक 19.11.2024 को आभासी (Virtual) रूप अवगत कराया जाना है।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(आकाश गंगवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांकः- 1291 /29-1 ,दिनांकित।

प्रतिलिपिः-अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-अपर प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-अपर प्रमुख संरक्षक सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली को उनके आदेश दिनांक 12.08.2024 के क्रम में ई-मेल के द्वारा सूचनार्थ सादर प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

(आकाश गंगवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

O/C

सलग्नक - 8

✉ dfo_lansdowne@yahoo.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

उत्तराखण्ड राज्य

पत्रांक :- 1357 /29-1 , दिनांक, कोटद्वार, 23 /10/ , 2024

सेवा में,

वन क्षेत्राधिकारी,
लालढांग।

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 (एम0ए0 संख्या-27/2024) श्री मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- उप सचिव उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग-2 के पत्र संख्या-1644/X-2/2023-15(28)/2024 दिनांक 06.09.2024.

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 (एम0ए0 संख्या-27/2024) श्री मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 19.02.2024 के अनुपालन में पैरा संख्या- 04, 05, 06 व 07 की सूचना प्रेषित की गयी थी।

यह कि पैरा संख्या- 05 में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुसार दिनांक 14.09.2023 को यह आपत्ति व्यक्त की गयी थी कि सिमबलखाल से सिडकुल तक हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण का कार्य नहीं किया गया है और सिद्धवली स्टोन क्रेशर बंद पाया गया, जो सत्य है, तथा वर्तमान में बंद है।

यह कि पैरा संख्या- 06 के अनुसार माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुपालन में आपके द्वारा स्थलीय मापन किया गया था, जिसमें आपके द्वारा बताया गया कि सिमबलखाल से सिडकुल तक हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु कुल लम्बाई 1500 रनिंग मीटर आंकलित की गयी है। उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2024-25 की दरों के अनुसार 1500 रनिंग मीटर हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु रू-2,67,22000.00 (रू0 दो करोड़ सड़सठ लाख बाईस हजार मात्र) धनराशि की आवश्यकता होगी।

यह कि प्रश्नगत प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में दिनांक 12.08.2024 को सूचीबद्ध किया गया था जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किया गया हैः-

1. ***Considering the issue involved in the matter, the Tribunal by order dated 01.05.2024 had impleaded the concerned respondents and had issued notice to them.***

2. ***The Applicant has filed the affidavit of service. Despite service of notice, Respondents No. 1 to 3 are not represented today.***
3. ***The Applicant is directed to inform the said respondents about the next date of hearing.***
4. ***Respondent No. 3, DFO, Kotdwar is directed to remain virtually present on the next date of hearing.***
5. ***List on 19.11.2024.***

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 में दिनांक 12.08.2024 को पारित आदेशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 19.11.2024 को सूचीबद्ध तिथि को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के सम्मुख उपस्थित होकर अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जानी है।

यह कि अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 19.11.2024 को मा0 हरित प्राधिकरण के सम्मुख उपस्थित होकर आख्या प्रस्तुत की जानी है, जिसका अभिलम्ब पुनः स्थलीय निरीक्षण कर क्षेत्र का विस्तृत

O/C

प्रस्ताव बनाकर 03 दिनों के भीतर उप प्रभागीय वनाधिकारी, कोटद्वार के माध्यम से प्रस्तुत करें। इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब स्वीकार्य नहीं होगा।

प्रकरण को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में सूचीबद्ध दिनांक 19.11.2024 को आभासी (Virtual) रूप अवगत कराया जाना है।

(आकाश गंगवार)
उप वन संरक्षक,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांकः- 1357 /29-1 ,दिनांकित।

प्रतिलिपिः-उप प्रभागीय वनाधिकारी, कोटद्वार को इस आशय से प्रेषित कि वन क्षेत्राधिकारी, लालढांग से स्थल का विस्तृत प्रस्ताव बनवाकर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(आकाश गंगवार)
उप वन संरक्षक,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

O/C

सलग्नक-9

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग-2
संख्या- 1954/X-2/2024-12(37)/2024 (ई-78088)
देहरादून, दिनांक 29 अक्टूबर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 474/3-5 (ग0व0सी0ए0) दिनांक 28.07.2024 के क्रम में निम्न तालिका में अंकित विवरणानुसार कार्यदायी संस्था नामित किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था
1	2	3
1	लैन्सडौन वन प्रभाग के अन्तर्गत लालढांग रेंज के सिम्बलखाल से सिडकुल तक (सिगड्डी कक्ष सं0-20 अ) कुल 1500 र0मी0 हाथी सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य।	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Signed by
Dhirendra Kumar Singh
Date: 29-10-2024 15:17:39

(धीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 1954/X.-2/2024-12(37)/2024 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।
6. कार्यदायी संस्था-उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।
7. गार्ड फाईल।

(धीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

लैं0 व0 प्र0, कोटद्वार
प्राप्ति सं0........
पत्रावली........
दिनांक 01/11/2024

सलग्नक-10

Tel/Fax No. 01382-228467
E-mail- dfo_lansdowne@yahoo.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांकः- 1525 /12-1 ,दिनांक, कोटद्वार, 08/11/ : 2024.

उत्तराखण्ड राज्य

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
कोटद्वार-गढ़वाल।

विषय :- सिम्बलखाल से सिड़कुल तक हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 (एम०ए० संख्या-27/2024) श्री मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 (एम०ए० संख्या-27/2024) श्री मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 19-02-2024 को पारित आदेश एवं बीट मानचित्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। इस क्रम में अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग की लालढांग रेंज की सिगड्डी क०सं०-20 के अन्तर्गत हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य प्रस्तावित है, इस हेतु उक्त क्षेत्र से लगी नापभूमि/राजस्व भूमि के सीमांकन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया जाना है, चूंकि उक्त प्रकरण मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 19-11-2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली को आख्या प्रस्तुत की जानी है। इस हेतु वर्णित क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण हेतु शीघ्र-अतिशीघ्र तिथि निर्धारित कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आकाश गंगवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांक 1525 /12-1 दिनांकित

प्रतिलिपिः- निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1- वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2- जिलाधिकारी, गढ़वाल पौड़ी।

(आकाश गंगवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

o/c

संलग्नक-11

संयुक्त निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 13/02/2024 को मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकारण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद सं0-772/2022(एन0ए0सं0 27/2024) श्री मोहन चन्द्र राती बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्वन्ध में पारित आदेश दिनांक 19/0222024 के अनुपालन में सिम्बलखाल से सिडकुल तक बनने वाली हाथी सुरक्षा दीवार के निर्माण हेतु राजस्व विभाग के साथ उप जिलाधिकारी कोटद्वार द्वारा उक्त संयुक्त निरीक्षण कार्य हेतु अपने कार्यालय पत्रांक 1484/-24(संयु0नि0) दिनांक 11.11.2024 द्वारा निर्धारित तिथि दिनांक 13/1122024 को भू-अभिलेखों तथा वन विभाग के अभिलेखों के आधार पर निरीक्षण/तस्दीक की गई। राजस्व अभिलेखों एवं धारा-20 हेतु जारी अधिसूचना सं0 938/1 सी0-236-सी0/1948 दिनांक 31/03/1951 द्वारा धारा-4 के अंतर्गत अधिसूचित (पांपीडांडा खाम) का मिलान कर पूर्व में निर्मित हाथी सुरक्षा दीवार के प्रारम्भ बिन्दु जो राजस्व अभिलेखों के अनुसार खसरा सं0-118 के कोने पर स्थित है, से सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भिक किया गया। जिसके खेत सं0-02 तक कि दूरी 487 मी0 (अभिलेखों के अनुसार राजस्व) है। जिसकी जी0पी0एस0 लोकेशन 29°47'39.28"N 78°22'47.69"E है। तत्पश्चात राजस्व अभिलेखों के अनुसार खेत संख्या-2 से पूरब की ओर 120 मी0, पर खेत संख्या 2 की सीमा समाप्त होती है जिसके वांई ओर आरक्षित वन क्षेत्र है एवं जहां से पुनः पूर्व निर्मित हाथी सुरक्षा दीवार प्रारम्भ होती है से नपत प्रारम्भ करते हुये खेत संख्या-5 के प्रारम्भिक विन्दु से 108 मी0, 100 मी0 की दूरी पर निशानदेही की गयी व खेत संख्या 15 कि सीना से आगे की ओर 100 मी0 जिसकी भू-अभिलेखों के अनुसार स्थायी चिन्ह सडक से दूरी 680 मी0 है चिन्हित किया गया व पुनः खेत संख्या 15 से 100 मी0 की दूरी पर सीमा चिन्हित की गई जिसकी भू-अभिलेखों के अनुसार स्थायी चिन्ह सडक से दूरी 688 मी0 है व 100 मी0 की दूरी पर स्थायी चिन्ह सडक से दूरी 700 मी0, 30 मी0 की दूरी पर स्थायी चिन्ह सडक से दूरी 700 मी0, खेत संख्या 15 की सीमा से 50 मी0 की दूरी पर आगे की ओर स्थायी चिन्ह सडक से दूरी 755 मी0 निशानदेही की गयी। उक्त सर्वेक्षण कार्य पूर्ण निर्मित हाथी सुरक्षा दीवार से केवल 708 मी0 तक ही सर्वेक्षण कार्य किया गया। उक्त सर्वेक्षण कार्य समयअभाव के कारण राजस्व विभाग द्वारा नियत अगली तिथि को पूर्ण कर लिया जायेगा।

R.I.(R.)
(अतर सिंह चौहान)
(राजस्व निरीक्षक)
कोटद्वार

(विनोद जोशी)
(राजस्व उप निरीक्षक)
पट्टी- हल्दूखाता

(दिग्विजय सिंह चौहान)
सर्वेयर
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार

राजस्व उप निरीक्षक
पट्टी- सनेह
तहसील कोटद्वार

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप प्रभाग (कोटद्वार)
लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार

(जयपाल सिंह)
वन दरोगा
सिगड्डी अनुभाग

(मनोज लसेडा)
वन आरक्षी
प0 पापीडांडा I st

(मोहन चन्द्र जोशी)
उप जिलाधिकारी
लालढांग, वन क्षेत्राधिकारी
लालढांग रेंज

संलग्न-12

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

Tel/ Fax No. 01382-228467 E-mail- dfo_lansdowne@yahoo.com

उत्तराखण्ड राज्य

पत्रांकः-1577/29-1 ,दिनांक, कोटद्वार, 14/11/ 2024.

सर्वोच्च प्रायमिकता

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
कोटद्वार-गढ़वाल।

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 (एम0ए0 संख्या-27/2024) श्री मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- इस कार्यालय का पत्रांक-1225/12-1 दिनांक 08-11-2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में प्रश्नगत प्रकरण दिनांक 12-08-2024 को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किया गया है :-

1. Considering the issue involved in the matter, the Tribunal by order dated 01.05.2024 had impleaded the concerned respondents and had issued notice to them.
2. The Applicant has filed the affidavit of service. Despite service of notice, Respondents No. 1 to 3 are not represented today.
3. The Applicant is directed to inform the said respondents about the next date of hearing.
4. Respondent No. 3, DFO, Kotdwar is directed to remain virtually present on the next date of hearing.
5. List on 19.11.2024.

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-2 संख्या-1954/X-2/2024-12(37) दिनांक 29-10-2024 को प्रभाग की लालढांग रेंज के अन्तर्गत याचीकर्ता की अपील के अनुसार सिम्बलखाल से सिडकुल तक (सिगड्डी-203अ) में कुल 1500 र0मी0 हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम उत्तराखण्ड को नामित किया गया है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में दिनांक 06-11-2024 को श्रीमान वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्बन्धित उप प्रभाग व रेंज अधिकारी तथा स्थानीय कर्मचारीगण व ग्रामीणों के साथ मौका स्थल का निरीक्षण किया। स्थल निरीक्षण पर ग्रामीणों द्वारा संयुक्त सर्वे सीमांकन की माँग की गयी।

यह कि इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपको स्थल का संयुक्त सर्वेक्षण करवाने हेतु लिखा गया, ताकि स्पष्ट आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली को दिनांक 19-11-2024 को दी जा सकें, परन्तु आपके द्वारा दिनांक 11-11-2024 को सम्बन्धित राजस्व उप निरीक्षक, हल्दूखाता को मौके पर भेजा गया, परन्तु सर्वे कार्य नहीं किया गया। तत्पश्चात् आपके द्वारा अपने पत्र संख्या-1484/एस0पी0ए0-24 दिनांक 11-11-2024 के द्वारा सर्वेक्षण हेतु टीम गठित की गयी, जिसकी नियत तिथि 13-11-2024 रखी गयी।

यह कि दिनांक 13-11-2024 को राजस्व विभाग एवं वन विभाग की टीम के द्वारा क्षेत्र का संयुक्त सर्वेक्षण किया गया, परन्तु नपत कार्य केवल 708 मीटर लगभग किया गया तथा सर्वे कार्य पूर्ण नहीं हो सका, जिस कारण मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकी। जबकि प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली की दृष्टि से गम्भीर है, जिसकी सुनवाई मा0 न्यायालय में दिनांक 19-11-2024 को की जानी है। अतः आप पुनः अविलम्ब नजदीकी तिथि को अपने अधीनस्थ अधिकारियों व वन विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर भेजकर प्रकरण का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली को अवगत करवाया जा सकें।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांकः- 1577/29-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- अपर प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण उत्तराखण्ड, देहरादून।
3- अपर प्रमुख वन संरक्षक, सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड, देहरादून।
4- वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड, देरहादून।
5- जिलाधिकारी, गढ़वाल।
6- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली को उनके आदेश दिनांक 12-08-2024 के क्रम में ई-मेल के माध्यम से सूचना प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

OK